सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 07, सोमवार, *शाके* 1945-फरवरी 26, 2024 *Phalguna 07 Monday , Saka 1945- February 26 , 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 15, 2024

जी.एस.आर.171 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967 से संलग्न अनुसूची में, शीर्ष ग्रुप V के अधीन, विद्यमान क्रम संख्यांक 39 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और विद्यमान क्रम संख्यांक 40 और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 39क, 39ख, 39ग और उनकी प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"

39क.	मुख्य चालक	-	100 प्रतिशत	-	वरिष्ठ चालक ग्रेड-I	स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव	राज्यवार वरिष्ठता	-
39ख.	वरिष्ठ चालक ग्रेड-I	-	100 प्रतिशत	-	वरिष्ठ चालक	स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव	राज्यवार वरिष्ठता	-
39ग.	वरिष्ठ चालक	-	100 प्रतिशत	-	यान चालक	स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव	राज्यवार वरिष्ठता	-

"

[संख्या एफ. 7(1)डीओपी/ए-II/2023]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 15, 2024

G.S.R.171 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Rules, 1967, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) (1st Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Rules, 1967, after the existing serial number 39 and entries thereto and before the existing serial number 40 and entries thereto, under head Group V, the following new serial number 39A, 39B, 39C and entries thereto shall be inserted, namely:-

"

39A.	Chief Driver	-	100%	-	Senior Driver Grade - I	9 years experience on the post mentioned in column number 6	Statewise Seniority	-
39B.	Senior Driver Grade - I	-	100%	-	Senior Driver	9 years experience on the post mentioned in column number 6	Statewise Seniority	-
39C.	Senior Driver	-	100%	-	Vehicle Driver	9 years experience on the post mentioned in column number 6	Statewise Seniority	-

"

[No.F.7(1)DOP/A-II/2023]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.